



2026:AHC:31329-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

जनहित याचिका संख्या – 3461/2025

बिरी

सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर

प्रदेश

राज्य

एवं

3

अन्य

.....विपक्षी

याची के अधिवक्ता : राज किशोर मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता : ऋषभ अग्रवाल, जगन्नाथ मौर्य, आकांक्षा शर्मा (राज्य अधिवक्ता)

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. जनहित में कथित रूप से दायर इस याचिका में याची ने विपक्षी संख्या 2 को निर्देश देने की मांग की है कि वह विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध ग्राम मोती नगर, अस्फाबाद, तहसील सदर, जिला फिरोजाबाद स्थित मोहल्ले से इसे हटाने की कार्यवाही करे।
2. याचिका में तर्क दिया गया है कि ईट भट्ठा लागू नियमों के विपरीत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ('बोर्ड') से अनुमति लिए बिना संचालित हो रहा है।
3. बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्देशों में अन्य बातों के साथ यह इंगित किया गया है कि ईट भट्ठा बोर्ड द्वारा जारी संचालन की सहमति के तहत काम कर रहा है और इसके संचालन के लिए आवश्यक सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है।
4. उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु साइट मानदंड) नियमावली, 2012 ('नियम, 2012') की प्रयोज्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि ईट भट्ठा वर्ष 2006 से वर्ष 2002 के दिशा-निर्देशों के तहत काम कर रहा है और वर्तमान मामले में नियम, 2012 लागू नहीं होंगे।
5. निर्देशों में इंगित उपरोक्त तथ्यों की स्थिति को देखते हुए, वर्तमान जनहित याचिका में कोई मामला नहीं बनता है। अतः, याचिका खारिज की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

ए.एच.ए./वी.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"